

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ०प्र०लखनऊ।

20346

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 18 जून 2012

विषय:- 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वर्ष 2010-11 की प्रथम, द्वितीय किश्त एवं वर्ष 2011-12 की प्रथम किश्त के रूप में प्रदेश के नागर निकायों को स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि एवं वर्ष 2011-12 में प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु कतिपय नगरीय निकायों द्वारा समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर निकायों को वर्ष 2010-11 में शासनादेश संख्या-1672 / नौ-9-2011-115ज / 08 दिनांक 22.07.10 तथा शासनादेश संख्या-199 / नौ-9-2011-115ज / 08 टीसी दिनांक 27.01.11 द्वारा क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि तथा वर्ष 2011-12 में शासनादेश संख्या-1821 / नौ-9-2011-115ज / 08 टीसी दिनांक 02.08.11 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.12.2012 तक इस प्रतिबन्ध के साथ बढ़ायी जाती है कि सभी अवशेष कार्य उक्त अवधि में अवश्य पूरे कर लिये जायं।

3. निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। उक्त अवधि में अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग न किये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. उक्तानुसार, उपयोगिता अवधि वित्त विभाग की सहमति से बढ़ायी गयी है। अतः नियत अवधि में यथा प्रक्रिया धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र विलम्बतम दिनांक 31.12.2012 तक निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ, महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच) उ0प्र0इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा तथा लेखा) उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)
6. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय / सम्बन्धित जिलाधिकारी)
10. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
11. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

अज्ञा से,
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

18 - 6 - 2010

स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0
8वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

संख्या-8/१८६/ 13वाँ वित्त उपयोगो/ 2012-13 लखनऊ दिनांक 26 जून, 2012

उपरोक्त शासनादेश की प्रति समस्त नगर आयुक्त नगर निगम, उ0प्र0 तथा समस्त नगर पालिका परिषदो एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वे शासनादेश में निर्धारित उपयोगिता अवधि दिनांक 31-12-2012 तक 13 वे वित्त आयोग की अवशेष धनराशि का उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर विलम्बतम 31-12-2012 तक शासन / निदेशालय / महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

- 2— विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 4— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

kmgo-1
(कुरेखा गुप्ता)
निदेशक।

18-6-2012